

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)
(Phone No 0141-2227229, Email ID :- pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 29.10.2015

बैठक सूचना

निर्देशानुसार माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जिला प्रभारी मंत्री के रूप में दिनांक 06.11.2015 को पाली जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की जायेगी। विवरण निम्नानुसार है :-

जिले का नाम	बैठक दिनांक	बैठक स्थान
पाली	06.11.2015	जिला परिषद, सभागार, पाली


उक्त बैठक में निम्नानुसार अधिकारी भी भाग लेंगे :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्री विकास विभाग।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 3 शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 4 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 5 आयुक्त, महानरेगा।
- 6 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 7 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 8 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 9 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 10 परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 11 अति. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
- 12 संबंधित जिलों के जिला प्रभारी

जिले में बैठक कार्यक्रम निम्नानुसार है :-


क्र.सं.	समय	प्रतिभागी	एजेण्डा
1.	10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक	माननीय सांसद, जिले के समस्त माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख, जिले के समस्त प्रधान, जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी एवं जिले के समस्त विकास अधिकारी	जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
2	दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक	लन्च ब्रेक	
3	दोपहर 2:30 बजे से	फिल्ड विजिट एवं स्वच्छ भारत मिशन की कार्यशाला	

उक्त बैठक का आयोजन, समन्वय एवं बैठक कार्यवाही विवरण आदि का दायित्व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं जिला प्रभारी अधिकारी का होगा।


29/10/15
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 7 निजी सचिव, आयुक्त महानरेगा।
- 8 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 9 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 10 निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज।
- 11 जिला कलक्टर, पाली।
- 12 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली को प्रेषित कर लेख है कि जिले के माननीय सांसद महोदय/विधायकगण/जिला प्रमुख/प्रधानगण एवं जिले के विकास अधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु सुचित करेंगे, साथ ही विभाग की योजनाओं की क्रियान्विति से संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के जिला स्तरीय अधिकारी एवं पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी भी सुसंगत सूचनाओं के साथ बैठक में उपस्थित रहेंगे, यह सुनिश्चित किया जावे। बैठक से संबंधित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।
- 13 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 14 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 15 अति. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
- 16 जिला प्रभारी, मुख्यालय, जयपुर।
- 17 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट (rdprd.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।


25/10/15
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)